झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची–834002
☎ 0651-2490065(Office), Fax-2490064
Email- ssaranchi@rediffmail.com; dseranchi@gmail.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पत्रांक........874/

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी, आर0टी,ई0
राँची

दिनांक:- 21/10/21

सेवा में,

सभी प्रायार्य,
मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर)
जिला–राँची

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनिम, 2009 की धारा 12(1) (सी) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट के अन्तर्गत नामांकित विद्यार्थियों के फीस की राशि की भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, परिषद् का पत्रांक **JEPC/ RTE/ 47/10/2017-18/ 1820 दिनांक 04.10.2021।**

महाषया / महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (सी) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट के अन्तर्गत विद्यार्थियों के नामांकन, के विरुद्ध फीस की राशि का भुगतान रू 5100/–प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से संबंधित विद्यालय को लिाा शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा की जाती है।

विद्यालयों को फीस के राशि के भुगतान के संबंध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के द्वारा निम्न निदेश प्राप्त हैं।

"State must identify private school which have received land, grant or any other support feom Govt. at any of time. Such school are under the obligation of providing education to children without entitlement of reimbursement".

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये उक्त निदेश को दृष्टिपथ रखते हुए संबंधित विद्यालयों को उपर्युक्त मद में फीस की राशि के भुगतान के पूर्व उक्त निदेश से संबंधित सूचना प्राप्त करने के बाद ही फीस की राशि का भुगतान किया जाना है।

अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आपके विद्यालय को सरकार के द्वारा किसी भी समय भूमि, अनुदान अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा/ सहयोग प्रदान की गई हो तो दिनांक ~~15.10.2021~~ 25.10.2021 तक इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय /email id (rteranchi@gmail.com) में उपलब्ध कराये। यदि कोई सुविधा नहीं प्राप्त है तब भी शुन्य प्रतिवेदन के साथ सूचना निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 21.10.21
जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी, आर0टी,ई0, राँची

(हस्ताक्षर) 11/10/2021

(हस्ताक्षर) 11/10/21